

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)  
2 जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(6)(3)स्था/NTT/ICDS/14/79336


जयपुर, दिनांक:

8-5-18

आदेश


विभाग के आदेश दिनांक 16-06-2017, दिनांक 23-06-2017 एवं 28-06-2017 के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के पद पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 08-06-15 के अनुसार दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए रुपये 8910/- प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की गई थी।

उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30-10-2017 से लागू सातवे वेतनमान के सूची-IV में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के नियत पारिश्रमिक 8910/- के स्थान पर 14600/- दिनांक 01-10-2017 से भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

  
उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(6)(3)स्था/NTT/ICDS/14/79337-674 जयपुर, दिनांक: 8-5-18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- 2 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 3 आदेश पत्रावली।

  
उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर।